

(102)

संख्या-539/2015/1570/69-1-2015-48(मोबो-83)/2014

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

विदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सङ्केत, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-469/76/एक/एवीएमटीवीवाई/2013-14, दिनांक 12 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का लिंग हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सङ्केत, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की कार्यापन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-बस्ती की न०पा०प०, बस्ती व न०प०, बम्नान की ०७ परियोजनाओं, जनपद-मङ्क की न०प०, मुहम्मदाबाद गाहना व न०पा०प०, मङ्क की १४ परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न निकायों की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सङ्केत व नाली निर्माण हेतु कुल 21 परियोजनाओं हेतु ₹० ५९१.४३ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् ₹० २९५.७२५ लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-153/2269/69-1-14-48(मोबो-83)/2014, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव उक्त जनपदों में से केवल जनपद-बस्ती की न०प०, बम्नान की ०३ परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु बालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट में उपलब्ध धनराशि से संलग्न ज़ालिका के स्तम्भ-6 के अनुसार ₹० ४२.६५५ लाख (रूपये बयालिस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखितशतों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्र० जौनी/भी अनुल. भ०

-2/-

✓
रामा

वा० फ०

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अवतरणत सुनिश्चित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार उपर्युक्तानुमार निहित मट में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मत्तक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपराज्ञ ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मट में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मट में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का कुरा विनाश नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुतार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदारी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्रबंधितों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करदे से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणकों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राक्षिकानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा वह ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुष्यांग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा करकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सुचिय/बहुमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिवृत्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का भास, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक रूप के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीषक 2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गव्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मालिन बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

मवदीय
एच०पी० सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-539/2015/1570/69-1-2015 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सराजनी छायझ मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लिधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बस्ती।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकाष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य बङ्गरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब सार्वजन, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गाई फाइल/फ़ाइल सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

एच०पी० सिंह
विशेष सचिव।

शास्त्रज्ञान विभाग संख्या 522/2015/1570/69-1-2015-48 (मोद० 33) 2015 दिनांक 26 जून, 2015 दा

इलामनगर

(प्रत्यारुप लाख रुपये में)

क्र०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	वस्ती/वाहि का नाम	पारियोजना को कुल संगत	दिलीप/आंतिम क्रियत के रूप में स्थीरूपी योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती	न००३०, बझानग	वाई न० ०४, न०० पटेलनगर में गौर बझान नाम से अयराम यादव के घर तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली जिमोण कार्य।	29.27	4.655
2	बस्ती	न००३०, बझानग	वाई न० ०४, न०० पटेलनगर में गौर बझान नाम से नन्द बर्नी के घर तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली जिमोण कार्य।	19.36	9.68
3	बस्ती	न००३०, बझानग	वाई न० ०४, न०० पटेलनगर में गौर बझान नाम पर शक्ति के भरीन होते सुर राम जियावत के घर तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली जिमोण कार्य।	36.68	18.34
योग				85.31	42.655

(रुपये ब्रायलिस लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र)

h.s.s.
(एच०प० सिंह)
विशेष सदिय।'